



(66) 68



## न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. / 2017 निगरानी III/A/रामी/सिंगरौली/२०१७/१०५८/३९७२

भगवानदास पुत्र बुधरू तेली

निवासी ग्राम चन्द्रावल तहसील व जिला  
सिंगरौली म0प्र0

S.P. Dhumal  
द्वारा आज दि. 28/08/17 को  
प्रस्तुत

— आवेदक

विरुद्ध

कलंक ऑफ कोट ४४४/८/८  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0 शासन

— अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

न्यायालय नायव तहसीलदार सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्र.क.

98/अ-6/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1993 के  
विरुद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

### प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम चन्द्रसवल तहसील व जिला सिंगरौली के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा नायव तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115-116 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण क्रमांक 98/अ-6/1991-92 पर पंजीयन किया किया गया। विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि मे कोई आपत्ती प्राप्त नहीं हुई प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पिंडरवाह तहसील सिंगरौली की भूमि आराजी सर्वे नं. 72/9 रकवा 8.50, 230/4 रकवा 8.50 नं. 230/4 रकवा 8.50 एकल एकल 1150 एकल वर्ष 1982 से 87 व 88 तक अंकित है।

भगानज धारा / ११८८

(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश प्रछ

प्रकरण क्रमांक -॥/ निबा०/ सिंगरौली/ भू.रा०/ २०१७/ २३७२

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारियों के हस्ताक्षर
06/२०१७	<p>इस प्रकरण में दिनांक 24/९/१८ को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी ना भजा तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक ९८/अ-६/१९९१-९२ में पारित आदेश दिनांक ०३/०३/१९९३ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र०० भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २७/४/१९ को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य ६/२०१७</p>	